29.10.25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं T.I. दिनांक 01.05.2025 निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS 2025/264

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 103/2025 GCMS:-2025/264 दायर दिनांक : 01.05.2025

1. अंकित कुमार
2. ममता देवी
3. अनिता

पुत्र/पुत्रीयां विजयपाल जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाणी चक 2 डी.ओ.'बी' भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. द्वारका पत्नी विजयपाल जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाणी चक 2 डी.ओ.'बी' भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. विजयपाल पुत्र बींझाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 डी.ओ.'बी' भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. संगीता पत्नी मनीष कुमार चुघ जाति अरोड़ा निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. रूचिका पत्नी रजत कुमार चुघ जाति अरोड़ा निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. ओमविष्णु उर्फ विष्णुदत्त पुत्र बींझाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 डी.ओ.'बी' भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा सूरतगढ़
6. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ पैरोकार राज
7. उप—पंजीयक, राजियासर/सूरतगढ़ ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री अजय सारस्वत, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 2—3
3. पैरोकार राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 29.10.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित।

प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण सं. 1 से 3 के दादा व

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थी सं. 4 के ससुर एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 4 के पिता बींझाराम पुत्र समेलाराम के नाम से रोही भोपालपुरा के खसरा नं. 77, 89 व 124 में 55.09 बीघा भूमि सन् 1963–64 के पूर्व से आरजी काश्त पर आवंटन थी, जिसमें से बाद में खसरा नं. 77 की 30 बीघा व 89 की 20 बीघा, कुल 50 बीघा भूमि का नवीनीकरण होता रहा व खसरा नं. 124 की 5.09 बीघा रकबा ज्यादा होने से उसका नवीनीकरण नहीं किया गया। बरवक्त चकबन्दी उक्त रकबा चक 2 डी. ओ.'बी' के पत्थर नं. 4/45, 4/53, 4/52 व 4/61 में पैमूद हुआ व वर्ष 1975 में पत्थर नं. 4/53 का 20 बीघा कमाण्ड रकबा लाईटलूम प्रार्थीगण के दादा/ससुर को पुख्ता आवंटन कर दिया गया व शेष 30 बीघा रकबा अधिक होने से सरप्लस/अधिशेष घोषित कर दिया गया एवं पत्थर नं. 4/53 के किला नं. 1, 2, 3 से 5 का 4 बीघा कमाण्ड रकबा बतौर स्मालपेच आवंटन हुआ। बींझाराम पुत्र समेलाराम के स्वर्गवास होने पर जैरप्रकरण भूमि चक 2 डी. ओ.'बी' के पत्थर नं. 4/53 के किला नं. 1/2 में 0.063 है0, 2/2 में 0.190 है0, 3 से 20 सालम, 21/1 से 25/1 = 5.947 है0 कमाण्ड भूमि उनके दो पुत्रों प्रार्थीगण के पिता/पति अप्रार्थी सं. 1 विजयपाल व अप्रार्थी सं. 4 ओमविष्णु उर्फ विष्णुदत्त के नाम ब.हि.ब. में आयी, जिसमें से अप्रार्थी सं. 1 विजयपाल की पैतृक 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण का जन्मजात हिस्सा होने व कुल भूमि में से 1/2 हिस्सा में चार प्रार्थीगण व एक अप्रार्थी सं. 1 विजयपाल, कुल पांच हिस्सेदार होने से, कुल 5.947 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि का अप्रार्थी सं. 1 व 4/10 हिस्सा के प्रार्थीगण कानूनी रूप से हकदार हुए। प्रार्थीगण ने जब उक्त भूमि की जमाबन्दी निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं. 1 के बड़े भाई अप्रार्थी सं. 4 ओमविष्णु के नाम से तो कुल भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज है, लेकिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम कुल भूमि में जो 1/2 हिस्सा था वहां अब अप्रार्थीया सं. 2 संगीता के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थीया सं. 3 रूचिका के नाम 1/4 हिस्सा द[illegible]र्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से जब जमाबन्दी में अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के [illegible] भूमि दर्ज होने के बारे में पूछा तो अप्रार्थी सं. 1 ने बताया कि [illegible] आढ़तियें रजत कुमार व मनीष

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कुमार ने कहा कि आपकी तरफ कुछ रूपये नगद थे व दो–तीन साल से ब्याज पर ब्याज लग कर रकम अधिक हो गयी है, इसलिए तहसील में चलकर तीन वर्ष के लिए भूमि ठेका पर हमें लिख दो व काश्त आप ही करते रहना। यह कहकर अप्रार्थी सं. 1 को उप–तहसील राजियासर में ठेकानामा लिखवाने के लिए ले गये व अप्रार्थी सं. 1 ने ठेकानामा लिख दिया। इसके अलावा अप्रार्थी सं. 1 ने न तो किसी से रूपये लिये हैं व न ही भूमि का बैयनामा किया है। प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से पता किया तो पता चला कि अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के पतियों व परिवार की विजयनगर में 'आढ़त की दुकान है। प्रार्थीगण के पिता / पति की काफी समय से उन्हीं से फसल आदि बेचने की आढ़त थी। उन्होंने ठेकानामा लिखवाने के बहाने अपने परिवार सदस्यों के नाम अप्रार्थी सं. 1 से बैयनामा करवा लिया। अप्रार्थी सं. 1 को पैतृक भूमि विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण को बताया कि उसने पैतृक रूप से आयी भूमि का अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 को कभी भी बेचान नहीं किया। भूमि का ठेकानामा लिखवाने सेठों के साथ गया था, उन्होंने जहां–जहां कहा, उसने अंगूठे लगा दिये व हस्ताक्षर कर दिये, इससे ज्यादा उसे कुछ पता नहीं है। प्रार्थीगण एक–दो रिश्तेदारों को साथ लेकर अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के घर गये और उनके मुखिया से अन्य सेठों की उपस्थिति में काफी देर तक बातचीत की तो मुखिया ने कहा कि प्रार्थीगण के पिता / पति के पास कुछ रूपये नगद गये हुए हैं, कुछ घरेलू सामान गया हुआ है एवं ब्याज व बैयनामा पर खर्च हुई राशि सहित कुल 3 लाख 7 हजार रूपये दिनांक 25.04.2025 तक दे दो, उसी समय भूमि आपके नाम करवा देंगे। प्रार्थीगण 25.04.2025 को दिन भर जैरप्रकरण भूमि के खेत में बनी ढ़ाणी में इन्तजार करते रहे, लेकिन अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की तरफ से कोई भी नहीं आया। अगले दिन प्रार्थी सं. 1 अंकित कुमार अपने साथ एक आद[illegible] अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के घर गये और उनके घर के [illegible] दिया कि वो वापस बैयनामा नहीं करवायेंगे और धमकी [illegible] बच्चों व पत्नी को न तो दुकान में घुसने देंगे व न ही घर में घुसने देंगे। वो जैरप्रकरण भूमि में बनी पक्की ढ़ाणी,

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

ट्यूबवैल, पक्की डिग्गी आदि पर जबरिया कब्जा करेंगे व प्रार्थीगण को बेदखल कर काश्त की जैरप्रकरण भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी, इसलिए प्रार्थीगण ने अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद निर्णय से पूर्व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 द्वारा बदमाश व झगड़ालू किस्म के लोगों को भेजकर ढ़ाणी खाली करवा ली तो प्रार्थीगण का परिवार व पशुधन भयंकर गर्मी में झुलस कर मरने की स्थिति में आ जायेंगे। प्रार्थीगण के नाम से व अप्रार्थी सं. 1 के पास जीवनयापन करने का अन्य कोई सहारा नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिए प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैरप्रकरण भूमि वाके चक 2 डी.ओ.'बी' पटवार हल्का भोपालपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता सं. 167/11 के पत्थर नं. 4/53 (21) के किला नं. 1/2 से 25/1 = 5.947 है0 कमाण्ड भूमि में अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के नाम दर्ज 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व सावणी की फसल बीजी हुई है व ढ़ाणी बनाकर परिवार व पशुओं सहित निवास कर रहे हैं, में अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की 1/2 हिस्सा की भूमि व ढ़ाणी एवं ट्यूबवैल द्वारा पानी लगाने आदि में किसी प्रकार से व्यवधान न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें व जैरप्रकरण भूमि 1/4, 1/4 हिस्सा को रहन–बैय, दान आदि द्वारा हस्तान्तरण न करके रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति वाद–पत्र के निर्णय तक बनाये रखें, का आदेश जारी करने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थी के श[illegible] पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए दिनांक 01.05.2025 को अन्तरिम अ[illegible] निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र मय रजिस्टर्ड बैयनामा की प्रति प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने खसरों से पत्थर नम्बर में पैमूद रिकॉर्ड, की न तो सूची नं. 4 पेश की व न ही सूची नं. 8 प्रस्तुत की। विरासतन इन्तकाल की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की। जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी सं. 1 का विरासतन रकबा नहीं है। पिता के मरने के बाद प्रार्थीगण ने अपनी दादी व बुआ का कोई विवरण नहीं दिया। न्यायालय को यह कतई नहीं बताया कि बींझाराम के कुल कितने वारिस थे, इसलिए प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड नहीं आये हैं। प्रार्थीगण ने रकबा विरासतन प्राप्त साबित नहीं किया है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थीगण की सहमति से रकबा का बेचान हुआ है। अगर तीन साल के ठेका पर होता तो 2023 में तीन वर्ष पूरे होने पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य दुरभि सन्धि है। सही सत्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 5.947 है0 में से अपनी 1/2 हिस्सा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 19.06.2020 को अप्रार्थीगण को कुल 13,30,000/–रू. में विक्रय की थी और अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के द्वारा चैक सं. 510203 एस.बी.आई. बैंक श्रीविजयनगर व चैक सं. 035872 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीविजयनगर के माध्यम से प्रतिफल की राशि अप्रार्थी सं. 1 को प्रदान की थी और अप्रार्थी सं. 1 ने जैरप्रकरण रकबा का कब्जा अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 को सौंप दिया था। तब से लेकर आज तक कब्जा अप्रार्थीगण के पास है, जिसे वे कभी ठेका पर देते हैं और कभी हिस्सा पर देते हैं। इस बार इस रकबा को प्रार्थीगण को ठेका पर नहीं दिया, इसलिए प्रार्थीगण ने झूठी कहानी बनाकर न्यायालय से एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है, जबकि रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती। पंजीकृत बैयनामा आज भी प्रभावी है, जिसे शून्य या निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अप्रार्थीगण ने अपने रकबा में फसलों की सार–सम्भाल हेतु ढाणी [illegible] है। जब अप्रार्थीगण उक्त रकबा को हिस्सा–ठेका पर देते हैं तो हिस्सेदार [illegible] ठेकेदार के रहने के लिए रिहायशी कोठे बनाये हुए हैं जो प्रार्थीगण के [illegible] नहीं हैं। अपने अतिरिक्त कथन में अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(103 / 2025 अंकित कुमार वगैरह बनाम विजयपाल व अन्य)

करके भूमि विक्रय की है एवं विधिवत कब्जा अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 को प्रदान किया है। अब लालच के वशीभूत होकर झूठी कहानी बनाकर पिता–पुत्र ने दुरभि सन्धि करके निषेधाज्ञा की आड़ में दखलन्दाजी करने के प्रयास में हैं। ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञा ज़ारी किया ज़ाना कानून सम्मत नहीं है। वाद–पत्र कानून विरुद्ध होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, इसलिए प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. निरस्त किये जाने व पूर्व में जारी स्थगन खारिज किये जाने और प्रार्थीगण पर भारी हर्जाना लगाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 4 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया और अप्रार्थी सं. 4 के हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा पूर्व में पिता को आवंटित होना एवं उनके स्वर्गवास उपरान्त अप्रार्थी सं. 1 व 4 के नाम विरासतन दर्ज हुआ। अप्रार्थी की पत्नी द्वारका जीवित है व एक पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं। उनका कितना हिस्सा बनता है, पता नहीं। अप्रार्थी खेती–बाड़ी करता है, ज्यादा कानूनी ज्ञान नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के परिवार सदस्यों की आढ़त की दुकान है जिनसे अप्रार्थी सं. 1 का रूपयों का लेन–देन है। खाद, बीज आदि के लिए रूपये मांगता था तो वे दे देते थे और वो जहां कहते थे, वहां हस्ताक्षर कर देता था। प्रार्थीगण को जब पता चला कि आढ़तियों ने अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित भूमि अपने नाम करवा ली है, तब से प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 से नाराज चल रहे हैं व बोलचाल भी बन्द कर रखी है। प्रार्थीगण कब उनके पास गये, कब पंचायत हुई, पता नहीं है। आढ़तियों ने अप्रार्थी से उप तहसील राजियासर में हस्ताक्षर जरूर करवाये थे, उन कागजों में ठेकानामा था या बैयनामा, अप्रार्थी को पता नहीं है। अप्रार्थी की काफी समय से सेठों से आढ़त है व लेन–देन चल रहा है, [illegible] पूरा विश्वास है। अप्रार्थी का पूरा परिवार जैरप्रकरण रकबा व [illegible] रह रहे हैं। इसी अनुसार प्रार्थना–पत्र आगामी कार्यवाही करने का निवेदन किया।

जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

क्रमशः ..... पेज 7 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में अंकित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जो कि पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण ने अपने पिता/पति अप्रार्थी सं. 1 से सम्पर्क कर पैतृक भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा को नाम करवाने का कहा एवं इस हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम की भूमि अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से इस बाबत पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 5 वर्ष पूर्व श्रीविजयनगर में आढ़तियों मनीष कुमार व रजत कुमार ने दुकान के रूप में व ब्याज बकाया बताकर ठेकानामा लिखवा लिया। इसके अलावा मैंने कोई राशि प्राप्त नहीं की। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि का कथित बैयनामा प्रार्थीगण के हितों पर निष्प्रभावी है। वाद के निर्णय तक जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त WLN 1989(2) Page No. 285 HC Para 7 Hindu Law, RTA 1955 की धारा 53 (घ), RRT 2006(2) Page No. 948, हिन्दू विधि पेज नं. 762 पैरा 5–6, पेज नं. 763 पैरा 8, 9, 11, 13, पेज नं. 490, 499, 500 से 504, AIR 2007 ILR (MP) HC 494, RRT 2017(1) Page No. 491 Para 10, AIR 2007 SC, RRT 2020(2) Page No. 1081 Paras 18, 20, 21, RRD 1987 Page No. 330, 426, RRD 1977 Page No. 470, AIR 1966 Page No. 470 SC, RRD 1988 Page No. 71, RRD 1989 Page No. 685, 594, RRD 1991 Page No. 197, CJ(Civ.) 2024(1) (SC) Page No. 178, CJ(Civ.) 2023 (SC) Page No. 765, RRT 2025 (2) Page No. 992 Raj. High Court, CJ 2025 PI Page No. 6 का हवाला दिया।

प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि नहीं है। प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित भूमि उसके पिता से विरासतन मिलना बताया है जो कि रिकॉर्ड की विपरीत असत्य कथन है। अप्रार्थी सं. 1 को भूमि अपने पिता के अलावा अपनी बहिनों एवं माता से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jain Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 8 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हकत्याग के जरिये प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण ने अदालत को गुमराह करते हुए इस तथ्य को छुपाया है। अप्रार्थी सं. 1 का यह कथन कि कोई राशि प्राप्त नहीं की थी, भी असत्य कथन है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत बैयनामा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पूर्ण होश–हवास से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके निष्पादित व पंजीकृत करवाया गया है एवं प्रतिफल की राशि जरिये चैक प्राप्त की है जिसका भुगतान अप्रार्थी सं. 1 के खाते में जमा हो चुका है। बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी पेश की हुई है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण से दुरभि सन्धि करके विक्रयशुदा भूमि, जिसका प्रतिफल प्राप्त किया जा चुका है, को अवैध रूप से हड़पने की नियत से दावा प्रस्तुत किया है। दावा प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 की प्रति पेश की है जिसकी टिप्पणी में पैतृक सम्पत्ति के विवेचन में भी स्पष्ट अंकित किया है कि पिता के अलावा अन्य स्त्रोत से प्राप्त सम्पत्ति स्वतंत्र सम्पत्ति होती है। हस्तगत प्रकरण में भी अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त सम्पत्ति मात्र पिता से प्राप्त न होकर बहिनों/माता से हकत्याग से प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पैतृक श्रेणी में नहीं आती। प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है। हम अप्रार्थीगण सद्भावी क्रेता हैं। पूर्ण प्रतिफल अदा करके भूमि क्रय की है। अतः सुविधा सन्तुलन हम अप्रार्थीगण के हक में है। प्रार्थीगण के पिता/पति के द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया जा चुका है। प्रार्थीगण को कोई क्षति नहीं होगी, इसलिए प्रार्थना–पत्र मय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किये जानें का निवेदन किया। अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (2021)2 DNJ 380 Raj. H.C., (1986) AIR (SC) 1753, (2008) 3 SCC 87, 2024:DHC:10044, 2020 RBJ 286 Raj.H.C., RLW 2011(2) Rj 1056, RRT 2003(2) 1267, (2019) 2 SCC 727, (1991) 4 SCC 312, MULLA HINDU LAW LEXISNEXIS P. 306 ILLUSTRATION A-D की प्रतियां पेश की।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं न्याय निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज पूर्व रिकॉर्ड की प्रतियां पेश की हैं, लेकिन अप्रार्थी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1 को भूमि सीधे पिता से प्राप्त होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने जो चक 2 डी.ओ.'बी' के इन्तकाल सं. 246 की प्रति पेश की है, उससे साबित हो रहा है कि जैरप्रकरण रकबा जो बींझाराम को आवंटित होकर खातेदारी दर्ज हुआ है उसमें 7/9 हिस्सा भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 व 4 को माता व बहिनों से जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार एक हिन्दू महिला अपने रकबा की आत्यतिक स्वामी होती है एवं ऐसी हिन्दू महिला से प्राप्त रकबा स्वः अर्जित रकबा माना जाता है तथा न्यायिक दृष्टान्त RBJ 2020 Page No. 286 (HC) के अनुसार आवंटन के प्रमाण–पत्र में परिवार के सदस्यों का नाम लिख देने से ऐसा आवंटन सामुहिक आवंटन नहीं माना जावेगा। इसके अलावा इस प्रकरण में वर्णित 5.947 है0 में से अप्रार्थी सं. 1 ने अपने नाम का 1/2 हिस्से का रकबा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 19.06.2020 से ही अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 को बेचान कर कब्जा खरीददारान को सौंप दिया है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रतिफल राशि 13,30,000/–रू. जरिये चैक अप्रार्थी सं. 1 ने प्राप्त की है, इसलिए रकबा का पंजीकृत बैयनामा से बैय करते ही इस रकबा से अप्रार्थी सं. 1 व उसके वारिसों के हक समाप्त हो गये हैं। जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी सं. 1 के पिता को पैतृक प्राप्त हो, ऐसा दस्तावेज भी प्रार्थीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। Hindu Law (Mulla's) Para 212 के अनुसार "The conception of a joint Hindu family constituting a coparcenary is that of a common male ancestor with his lineal descendants in the male line within four degrees counting from, and inclusive of, such ancestor (or three degrees exclusive of the ancestor). No coparcenary can commence without a common male ancestor, though after his death, it may consist of collaterals, such as brothers, uncles, nephews, cousins, etc." तथा न्यायिक दृष्टान्त (2021)2 DNJ 380 Raj. H.C., (1986) AIR (SC) 17[illegible] (2008) 3 SCC 87 के अनुसार दादा से पिता को प्राप्त रकबा धारा 8 के दायरे में आता है, जिसमें पौत्र का जन्म से कोई हक नहीं बनता। यह रकबा पिता की Individual Property माना जाता है, जिस पर पिता का पूर्ण स्वामित्व माना जाता है और उसे बेचान करने का पूर्ण

क्रमशः ..... पेज 10 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अधिकार पिता को प्राप्त होता है। इस प्रकार जैरप्रकरण उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में प्राप्त नहीं होने से पैतृक भूमि नहीं है। प्रार्थीगण ने जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं, उनमें यह तो प्रकट होता है कि पैतृक भूमि में सन्तान को जन्म से हक प्राप्त होता है, लेकिन अन्य स्त्रोत जैसे हकत्याग आदि से प्राप्त सम्पत्ति पैतृक श्रेणी की भूमि है, प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीगण ने अपने अभिवचन में आढ़तियों बाबत जो कथन किये हैं, उनका भी कोई ठोस आधार नहीं है। प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करते। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने भूमि के बैयनामा के वक्त चैक से भुगतान होने के साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जिससे अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 द्वारा भूमि पूर्ण प्रतिफल अदा कर सद्भाविक रूप से क्रय किया जाना प्रकट होता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में पैतृक भूमि बाबत जो व्याख्या की गई है, उसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पैतृक भूमि होना प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में लागू होते हैं। प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है। चूंकि प्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है, इसलिए प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति भी नहीं होती है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.05.2025 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 29.10.2025 को [illegible] मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़